कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone/ Fax: 0135-2767611
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com

पत्रांकः 2789 /FP/UK/ROAD/151120/2022 दिनॉकःदेहरादूनः 21 मई,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय— जनपद—अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—309 ए किमी0 171.00 से किमी0 206.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला—अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—आपकी पत्र संख्या—5072/12—1(2) दिनांक 13—05—2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :—

1. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण—पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण—पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट—II, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी गयी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट—I के पैरा—L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट—II के पैरा—13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.405 है0 समतुल्य क्षेत्र में किया गया है, जबकि भारत सरकार की Handbook Guideline के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रभावित क्षेत्र के दुगने अवनत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल, जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट—I एवं पार्ट—II में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण—पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—5981 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट—II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—5432 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये (प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर) कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
Shekhar
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्याः—2789/FP/UK/ROAD/151120/2022 दिनॉकित।

1. प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, रा0रा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Shekhar
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक